अनुमोदनार्थ

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांक 2016

संख्या–2 / आ0–70–24 / 2014 गृ0आ0 / श्री अमित शरण, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर के विरूद्ध पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–4246 / एक्स0पी0, दिनांक 29.11.2013 के द्वारा पुलिस उप–महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस (केन्द्रीय मंडल), पटना को उनके कार्यालय में जाकर पुलिस महानिदेशक की ओर से निरीक्षण करने का निदेश दिया गया था। निरीक्षण के दौरान श्री अमित शरण द्वारा पर्यवेक्षण किये गये कांडों में से कुछ कांडों को Random रूप से चिन्हित कर यह देखने का निदेश था कि पर्यवेक्षण घटनास्थल पर जाकर किया गया है अथवा नहीं ? इस हेतु श्री शरण के भ्रमण दैनन्दिनी, वाहन का लौग बुक एवं कांड से संबंधित गवाहों से सम्पुष्टि कर प्रतिवेदन दिया जाना था। उक्त आदेश के अनुपालन में पुलिस उप–महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस (केन्द्रीय मंडल), पटना ने अपने पत्रांक–572 / गो0 दिनांक 20.12.2013 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके समीक्षोपरांत विभाग द्वारा श्री शरण के विरूद्ध विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया है।

2. गृह (आरक्षी) विभाग, पटना के ज्ञापन–5209 दिनांक 25.06.2014 द्वारा श्री अमित शरण को यह निदेश दिया गया था कि अपने बचाव में लिखित बयान प्रस्तुत करें।

3. श्री शरण द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान के समीक्षोपरांत इनके बचाव अभिकथन के असहमत होते हुए सरकार द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत श्रीमती प्रीता वर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा नियम 17 (5) (ग) के तहत प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना अपने स्तर से नियुक्त करेंगे।

4. श्री शरण से अपेक्षा की जाती है कि ये संचालन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से 10 (दस) दिनों के अंदर या संचालन पदाधिकारी के द्वारा निदेशित तिथि को स्वयं उपस्थित हो।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण–सह–संचालन पदाधिकारी एवं एक प्रति प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को आरोप पत्र एवं बयाव अभिकथन (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ अपेक्षित कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2 / आ0–70–24 / 2014 गृ0आ0 / पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / श्रीमती प्रीता वर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण, बिहार, पटना / सह–संचालन पदाधिकारी बिहार, पटना / श्री अमित शरण, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर (सम्प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेखपुरा) को आरोप पत्र / प्रपत्र–'क' बचाव अभिकथन साक्ष्य सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि श्री अमित शरण, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, झंझारपुर (सम्प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेखपुरा) को संकल्प की एक प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ह0 / –

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2 / आ0–70–24 / 2014 गृ0आ0 8309 / पटना, दिनांक 18/10 2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/10/16

सरकार के उप सचिव।